



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआई/2016-17/22

डीसीएम(एफएनवीडी) सं.जी-6/16.01.05/2016-17

20 जुलाई 2016

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
समस्त वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक,
ग्रामीण विकास बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक,
विदेशी बैंक तथा समस्त राज्यों के कोषागार निदेशक

महोदय / महोदया

मास्टर परिपत्र - जाली नोट पकड़ना तथा उन्हें जब्त करना

कृपया जाली नोट पकड़ने तथा उन्हें जब्त करने से संबंधित 28 सितंबर 2015 तक जारी अनुदेशों को समेकित करते हुए जारी हमारे [1 जुलाई 2015 का मास्टर परिपत्र डीसीएम \(एफएनवीडी\) सं.जी - 4/16.01.05/2014-15](#) (28 सितंबर 2015 को अद्यतन किया गया) देखें। मास्टर परिपत्र को अब तक जारी सभी निर्देशों को शामिल करते हुए अद्यतन किया गया है और इसे बैंक की मुख्य वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध किया गया है।

इस मास्टर परिपत्र में उपरोक्त विषय पर समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों में निहित अनुदेशों को समेकित किया गया है, जो इस परिपत्र की तारीख पर प्रचलन में हैं।

भवदीय

(पी विजय कुमार)

मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: मास्टर परिपत्र

मुद्रा प्रबंध विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, चौथी मंज़िल, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं.1379, मुंबई -400 001(भारत)

फोन:-+91 22 2266 1644; फ़ैक्स :- +91 22 2266 2442; ई-मेल :- helpdcm@rbi.org.in

[Department of Currency Management, Central Office, 4th Floor, Sir P.M. Road, P.B. No.1379, Mumbai-400 001 \(India\)](#)

Phone :- +91 22 2260 3000, 2260 4000 Fax:- +91 22 2266 2442 E mail : helpdcm@rbi.org.in

हिन्दी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

मास्टर परिपत्र - जाली नोटों की पहचान और जब्ती - 2016-17

विषय - वस्तु

पैरा क्र.	विवरण
1.	जाली नोटों को जब्त करने का अधिकार
2.	जाली नोटों की पहचान
3.	जाली नोटों की जब्ती
4.	प्रस्तुतकर्ता को रसीद जारी करना
5.	जाली नोटों की पहचान - पुलिस और अन्य निकायों को रिपोर्टिंग
6.	काउंटरो से जारी करने, एटीएम मशीनों में भरने और आरबीआई निर्गम कार्यालयों को विप्रेषण करने के पूर्व बैंकनोटों की जाँच करना
7.	नोडल बैंक अधिकारी को नियुक्त करना
8.	बैंक के प्रधान कार्यालय में जाली नोट सतर्कता कक्ष की स्थापना
9.	अल्ट्रा-वायलेट लैम्प तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना
10.	(i) बैंक शाखाओं (ii) बैंक के जाली नोट सतर्कता कक्ष (iii) सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों द्वारा आँकड़ों की सूचना
11.	पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त जाली नोटों का परिरक्षण
12.	जाली नोटों का पता लगाना - स्टाफ प्रशिक्षण
अनुबद्ध	अनुबद्ध - I
	अनुबद्ध - II
	अनुबद्ध - III
	अनुबद्ध - IV
	अनुबद्ध - V
	अनुबद्ध - VI
	अनुबद्ध - VII

भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा प्रबंध विभाग
मास्टर परिपत्र - 2016-17
जाली नोटों की पहचान और जब्ती

पैरा 1 जाली नोटों को जब्त करने का अधिकार

जाली नोट निम्नलिखित द्वारा जब्त किये जा सकते हैं;

- (i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा
- (ii) निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा
- (iii) सहकारी बैंकों तथा ग्रामीण विकास बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा
- (iv) सभी कोषागार और उप कोषागार
- (v) भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी निर्गम कार्यालय

पैरा 2 जाली नोटों की पहचान

बैंकों के काउंटरों पर या बैंक ऑफिस/मुद्रा तिजोरी में बड़े परिमाण में दिए गए बैंक नोट मशीनों के माध्यम से सत्यापित और प्रमाणीकृत किए जाने चाहिए।

काउंटर पर प्राप्त नोटों में या बैंक ऑफिस / मुद्रा तिजोरी में पहचान किए गए जाली नोटों के लिए ग्राहक के खाते में कोई क्रेडिट नहीं दिया जाना है ।

किसी भी स्थिति में, बैंक शाखाओं/ कोषागारों द्वारा जाली नोटों को प्रस्तुतकर्ता को लौटाया या नष्ट नहीं किया जाना चाहिये। बैंकों के स्तर पर पता लगाये गये जाली नोटों की जब्ती में असफलता को संबंधित बैंक की जाली नोटों के संचलन में इरादतन संलिप्तता मानी जाएगी और उनपर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 19 नवंबर 2009 के निर्देश सं.3158/09.39.00(नीति)/2009-10 के उल्लंघन हेतु दण्ड लगाया जायेगा ।

पैरा 3 जाली नोट के रूप में वर्गीकृत नोटों पर निर्धारित (अनुबंध 1 के अनुसार) "**जाली बैंकनोट**" स्टैम्प से चिन्हित कर उन्हें जब्त किया जाये । इस प्रकार से जब्त प्रत्येक नोट के ब्यौरे एक अलग रजिस्टर में प्रमाणीकरण के तहत अभिलिखित किये जाएंगे ।

पैरा 4 प्रस्तुतकर्ता को रसीद जारी करना

जब बैंक शाखा के काउंटर पर या कोषागार में प्रस्तुत बैंकनोट जाली पाये जाते हैं, तब उक्त पैरा के अनुसार नोट पर स्टैम्प लगाने के बाद निविदाकर्ता को निर्धारित फार्म (अनुबंध 2) के अनुसार प्राप्तिसूचना रसीद जारी की जानी चाहिए। उक्त रसीद खजांची

और जमाकर्ता द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए | इस आशय का नोटिस आम जनता की जानकारी के लिए कार्यालयों शाखाओं में विशेष रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए | जहां निविदाकर्ता संबंधित रसीद पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए इच्छुक नहीं है, ऐसे मामलों में भी प्राप्ति सूचना रसीद जारी की जानी है |

पैरा 5 जाली नोटों की पहचान - पुलिस और अन्य निकायों को रिपोर्टिंग

बैंक/ कोषागारों में प्राप्त की गई नकदी में पता लगाये गये जाली नोट को उपरोक्त पैरा. 2 में बतलाये गये अनुसार जब्त किया जाये |

इसके बाद, पुलिस को जाली नोट का पता लगने की घटना की रिपोर्टिंग करते समय, निम्न प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए :

एक ही लेन-देन में 4 पीसेस तक जाली नोटों की पहचान के मामलों में, नोडल अधिकारी द्वारा पुलिस प्राधिकरण या नोडल पुलिस स्टेशन को माह की समाप्ति पर संदिग्ध जाली नोटों के साथ निर्धारित फार्मेट में एक समेकित रिपोर्ट **(संलग्नक III के अनुसार)** भेजी जाए।

एक ही लेन-देन में 5 या उससे अधिक पीसेस तक जाली नोटों की पहचान के मामलों में, नोडल बैंक अधिकारी द्वारा वे जाली नोट एफआईआर दर्ज करते हुए निर्धारित फार्मेट में **(संलग्नक IV)** जांच-पड़ताल के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकरण या नोडल पुलिस स्टेशन को अग्रेषित किये जाएं।

मासिक समेकित रिपोर्ट/एफआईआर की एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय में बनाये गये जाली नोट सतर्कता कक्ष को (केवल बैंकों के मामले में) भेजी जाएगी और कोषागार के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालय को भेजी जाये |

पुलिस प्राधिकारियों से उनको मासिक समेकित रिपोर्ट और एफआईआर द्वारा प्रेषित जाली नोटों की प्राप्ति सूचना प्राप्त की जाये | यदि पुलिस को नकली बैंक नोट बीमाकृत डाक द्वारा भेजी गई है तो उनकी प्राप्ति सूचना अनिवार्य रूप से ली जाये और उन्हें रिकार्ड में रखा जाए | पुलिस प्राधिकरण से प्राप्ति सूचना प्राप्त करने के लिए उचित अनुवर्ती कार्रवाई अपेक्षित है | यदि मासिक समेकित रिपोर्टों को प्राप्त करने/ एफआईआर दर्ज करने पुलिस की अनिच्छा के कारण कार्यालयों / बैंक शाखाओं को किसी भी कठिनाई का सामना करना पड रहा है तो उसका निपटान जाली बैंकनोटों की जांच से संबंधित मामलों की समन्वय हेतु नामित पुलिस प्राधिकरण

के नोडल अधिकारी की सलाह से किया जाये । नोडल पुलिस स्टेशन की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित कार्यालय से प्राप्त की जाएं।

बैंकों को ऐसी पहचान के स्वरूप / प्रवृत्तियों पर निगरानी रखनी चाहिए और संदिग्ध स्वरूप/प्रवृत्तियों को तत्काल भारतीय रिज़र्व बैंक/पुलिस प्राधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए।

जाली नोटों की पहचान और उक्त की सूचना पुलिस ,आरबीआई आदि को देने में बैंकों द्वारा की गई प्रगति और उससे संबंधित समस्याओं पर विभिन्न राज्य स्तरीय समितियाँ अर्थात् राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) , करेंसी प्रबंधन पर स्थायी समिति(एससीसीएम) राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति(एसएलएससी), आदि की बैठकों में नियमित रूप से विचार - विमर्श किया जायें ।

बैंक-शाखाओं /कोषागारों में पकड़े गए जाली भारतीय बैंक नोटों के आंकड़े, नीचे दिये गये पैरा- 9 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम कार्यालय को प्रेषित की जानेवाली मासिक विवरणियों में शामिल किये जायें ।

भारतीय दंड संहिता में "जाली बनाना" की परिभाषा में विदेशी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी नोट भी शामिल हैं । पुलिस और सरकारी एजेंसियों से अभिमत /राय देने हेतु प्राप्त संदिग्ध विदेशी करेंसी नोटों के मामलों में, उन्हें यह सूचित किया जाये कि वे उक्त नोटों को नई दिल्ली स्थित सीबीआई की इंटरपोल विंग के पास उनसे उचित विचार -विमर्श के बाद भेज दें ।

भारत सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यू.ए.पी.ए.), 1967 के तहत उच्च गुणवत्ता नकली भारतीय मुद्रा अपराध नियमों, को बनाया है । अधिनियम की तीसरी अनुसूची उच्च गुणवत्ता वाले जाली भारतीय मुद्रा नोट को परिभाषित करती है। उच्च गुणवत्ता वाले जाली नोटों को तैयार करने, तस्करी, वितरण और प्रचलन की गतिविधियों को यू.ए.पी.ए., 1967 के दायरे में लाया गया है।

पैरा 6 **काउंटरो से जारी करने, एटीएम मशीनों में भरने और आरबीआई निर्गम कार्यालयों को विप्रेषण करने के पूर्व बैंकनोटों की जाँच करना**

बैंकों को अपना नकद प्रबंधन कुछ इस तरह पुर्न निर्धारित करना चाहिये जिससे यह

सुनिश्चित किया जा सके कि ₹ 100 और उससे अधिकमूल्यवर्ग की नकद प्राप्तियों को उन नोटों की, मशीन प्रसंस्करण द्वारा प्रामाणिकता की जांच के बिना पुनः संचलन में नहीं डाला जाए ।

ये अनुदेश दैनिक नकद प्राप्ति के परिमाण को ध्यान में लिए बगैर सभी शाखाओं पर लागू होंगे । इस अनुदेश के किसी भी अननुपालन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 19 नवंबर 2009 के निदेश सं. 3158/09.39.00(नीति)/ 2009-10 का उल्लंघन माना जाएगा।

एटीएम मशीनों जाली नोटों की प्राप्ति से प्राप्त से संबंधित शिकायतों का निपटान करने और जाली नोटों के संचलन पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह अत्यावश्यक है कि एटीएम मशीनों में नोटों को भरने से पूर्व पर्याप्त सुरक्षा उपायों/ नियंत्रणों को लागू किया जाये । एटीएम मशीनों के माध्यम से जाली नोटों को वितरण को संबंधित बैंक द्वारा जाली नोटों के संचलन के लिये किया गया एक प्रयास माना जायेगा ।

मुद्रा तिजोरी विप्रेषणों /शेषों में जाली नोटों का पाये जाने को भी संबंधित मुद्रा तिजोरी द्वारा जान-बूझकर जाली नोटों के संचलन के लिये किया गया प्रयास माना जायेगा जिसके परिणामस्वरूप पुलिस प्राधिकरण द्वारा विशेष और अन्य जैसे संबंधित मुद्रा तिजोरी के प्रचालनों को स्थगित करना जैसी कार्रवाई की सकती है ।

निम्नलिखित परिस्थितियों में जाली नोटों के अनुमानित मूल्य की मात्रा तक हानी की वसूली के अलावा, जाली नोटों के अनुमानित मूल्य का 100% दंड लगाया जाएगा :

क) जब बैंक के गंदे नोटों के विप्रेषणों (रेमिटन्स) में जाली नोटों की पहचान की जाती है।

ख) यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरीक्षण / लेखा परीक्षण के दौरान बैंक के मुद्रा तिजोरी / शेष में जाली नोट पाए जाते हैं।

[20 जून 2012 के परिपत्र सं.डीपीएसएस.केंका.पीडी.2298/02.10.002/2011-12](#) के अनुसार व्हाइट लेबल एटीएम में लोड किए गए नकदी की गुणवत्ता तथा उसकी असलियत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रायोजक बैंक की होगी।

पैरा 7

नोडल बैंक अधिकारी को नियुक्त करना

प्रत्येक बैंक को जिला-वार नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा और उसकी जानकारी

भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और पुलिस प्राधिकरण को देनी होगी। पैरा 5 में यथाउल्लिखित, जाली नोट के पहचान की रिपोर्टिंग के मामलों नोडल बैंक अधिकारी के माध्यम से आने चाहिए। नोडल बैंक अधिकारी जाली नोट पाये जाने से संबंधित सभी कार्यकलापों के लिए एक संपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा।

पैरा 8 बैंक के प्रधान कार्यालय में जाली नोट सतर्कता कक्ष की स्थापना

प्रत्येक बैंक निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु अपने प्रधान कार्यालय में जाली (नकली) नोट सतर्कता कक्ष स्थापित करे: -

- i. जाली नोटों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों को बैंक की सभी शाखाओं में प्रचारित करना । इन अनुदेशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना । वर्तमान अनुदेशों के अनुसार जाली नोटों की पहचान से संबंधित आंकड़े को समेकित करना और भारतीय रिज़र्व बैंक और एफआईयू - आईएनडी को इसकी रिपोर्ट प्रेषित करना । पुलिस प्राधिकरण और निर्दिष्ट नोडल अधिकारी के साथ जाली नोटों के मामलों से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई करना ।
- ii. इस तरह से संकलित जानकारी को बैंको के केंद्रीय सतर्कता अधिकारी से साझा करना तथा उन्हें काउंटरों पर स्वीकृत /जारी किये गये जाली नोटों से संबंधित मामलों की रिपोर्ट देना ।
- iii. ऐसी मुद्रा तिजोरियों; जहाँ पर दोषपूर्ण/जाली नोट आदि का पता लगा है , की आवधिक आकस्मिक जाँच करना ।
- iv. सभी मुद्रा तिजोरियों/ बैंक आफिस में उपयुक्त क्षमता वाली नोट सॉर्टिंग मशीनों के प्रचालन को सुनिश्चित करना और जाली नोटों के पता लगाने पर सावधानी पूर्वक निगरानी करना और उक्त का उचित रूप से रिकार्ड रखना । यह सुनिश्चित करना की केवल छांटे गये और मशीनों से जांचे गये नोट ही एटीएम मशीनों में डाले जायें/ काउंटरों से जारी किये जायें और नोटों के प्रसंस्करण तथा पारगमन के समय आकस्मिक जांच सहित पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था ।

जाली नोट सतर्कता कक्ष से यह अपेक्षित है कि वे उपरोक्त पहलुओं को शामिल करते हुए तिमाही आधार पर, संबंधित तिमाही की समाप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर, मुख्य महाप्रबंधक, मुद्रा प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, अमर भवन, चौथी मंजिल, सर पी.एम.रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001 तथा आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय के निर्गम विभाग जिसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत

जाली नोट सतर्कता कक्ष कार्यरत हैं, को वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्रेषित करें। उपर्युक्त रिपोर्ट [ई-मेल](#) द्वारा भेजी जाये। हार्ड प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है।

जाली नोट सतर्कता कक्षों के पतों को अद्यतन करने के उद्देश्य से बैंक प्रत्येक वर्ष में 1 जुलाई को अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबद्ध V) में इ-मेल से पते आदि आरबीआई को प्रस्तुत करें। हार्ड प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है।

पैरा 9 **अल्ट्रा-वायलेट लैम्प तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना**

जाली नोटों की पहचान सुगम बनाने के लिए सभी बैंक शाखाओं/निर्दिष्ट बैंक आफिसों को, अल्ट्रा-वायलेट लैम्प / अन्य उपयुक्त नोट सॉर्टिंग / पहचान वाली मशीनों से सुसज्जित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी मुद्रा तिजोरी शाखाओं में सत्यापन, प्रसंस्करण और छँटनी करने वाली मशीनों की व्यवस्था होनी चाहिये और मशीनों का इष्टतम स्तर तक उपयोग होना चाहिये। इन मशीनों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मई 2010 में निर्धारित "[नोट सत्यापन और फिटनेस सॉर्टिंग मानदंडों](#)" के अनुरूप होना आवश्यक हैं।

बैंकों को, पहचान किये गये जाली नोटों सहित नोट छँटनी मशीनों के माध्यम से संसाधित नोटों का दैनिक रिकार्ड रखना होगा।

बैंकों को जनता के उपयोग हेतु काउंटर पर नोट गिनने वाली कम से कम एक मशीन (जिसमें दोनों तरफ संख्या प्रदर्शित करने की सुविधा हो) लगाने पर भी विचार करना चाहिये।

पैरा 10 **आरबीआई को आँकड़ों की सूचना**

i) **बैंकों द्वारा**

बैंक की सभी शाखाओं द्वारा पता लगाये गये जाली नोटों का आंकड़ा मासिक आधार पर निर्धारित फार्मेट में सूचित करना आवश्यक है। माह के दौरान बैंक शाखाओं में पता लगाये गये जाली नोटों के ब्योरे दर्शानेवाला विवरण (अनुबद्ध VI) संकलित किया जाए और संबंधित रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालय को इस प्रकार प्रेषित किया जाये कि वह आगामी माह की 7 तारीख तक उन्हें प्राप्त हो जाये।

धन-शोधन निवारण अधिनियम 2005 के नियम 3 के अंतर्गत, बैंकों के प्रधान अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे ऐसे नकदी लेन-देनों के विषय में, जहाँ जाली नोटों का इस्तेमाल असली नोटों के रूप में किया गया है, सूचना, सात कारोबारी दिनों

के भीतर निदेशक, एफआईयू -आईएनडी, वित्तीय आसूचना यूनिट - इंडिया, 6 वी मंज़िल, हाटेल सम्राट, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110021 को सूचित करें ।

माह के दौरान किसी जाली नोट की पहचान नहीं किये जाने की स्थिति में 'निरंक' विवरणी भेजी जाये ।

ii) सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा

सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं द्वारा पता लगाये गये जाली नोटों के आंकड़ों को मासिक आधार पर भा.रि.बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। (संलग्नक VI)

पैरा 11 पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त जाली नोटों का परिरक्षण

पुलिस प्राधिकरण / न्यायालयों से पुनः प्राप्त सभी जाली नोटों को बैंक की अभिरक्षा में सावधानीपूर्वक परिरक्षित किया जाये और संबंधित शाखा द्वारा उक्त का रिकार्ड रखा जाये। बैंक के जाली नोट सतर्कता कक्ष को भी ऐसे जाली नोटों का शाखावार समेकित रिकार्ड रखना होगा ।

इन जाली नोटों का सत्यापन संबंधित शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा छमाई (31 मार्च और 30 सितंबर) के आधार पर किया जाना चाहिये । पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त की तिथि से इन जाली नोटों को तीन वर्ष की अवधि के लिए इनका परिरक्षण किया जाना चाहिये ।

इसके पश्चात पूर्ण ब्योरे के साथ इन जाली नोटों को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालय को भेजा जाये ।

जाली नोट जो न्यायालय में मुकदमेबाजी के अधीन हैं उन्हें न्यायालय निर्णय के बाद संबंधित शाखा के पास तीन वर्ष तक रखा जाएं ।

पैरा 12 जाली नोटों का पता लगाना - स्टाफ प्रशिक्षण

यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि बैंकों / कोषागारों में नकदी व्यवहार करनेवाला स्टाफ, बैंकनोटों के सुरक्षा विशेषताओं से पूरी तरह परिचित हो ।

जाली नोट की पहचान के संबंध में बैंक -शाखा के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से अनुबंध - VII में दर्शाये गये बैंक नोटों की सुरक्षा लक्षण तथा

डिज़ाइन सभी बैंकों / कोषागारों को इस निर्देश के साथ भेजे गये हैं कि वे इन्हें आम जनता के जानकारी के लिए प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करें ।

शाखाओं के स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए 2005-06 श्रृंखला के बैंकनोटों के पोस्टरों की आपूर्ति की गयी है । 2005-06 श्रृंखला के बैंकनोट के पोस्टर <https://paisaboltahai.rbi.org.in> पर भी उपलब्ध हैं ।

जाली नोटों का पता लगाने में, स्टाफ सदस्यों को सक्षम बनाने हेतु नियंत्रक कार्यालयों /प्रशिक्षण केंद्रों को बैंक नोटों के सुरक्षा लक्षणों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करना होगा ।

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि नकदी का लेन-देन करनेवाले सभी बैंक कर्मियों को भारतीय बैंक नोटों की वास्तविक विशेषताओं के संबंध में प्रशिक्षित किया जाए ।

भारतीय रिज़र्व बैंक, संकाय सहायता और प्रशिक्षण सामग्री भी प्रदान करेगा ।

जब्ती के लिए स्टैम्प का फॉर्मेट

5 सें मी x 5 सें मी के एकसमान आकार के स्टैम्प का निम्नलिखित उत्कीर्णन के साथ उपयोग किया जाए -

जब्त जाली बैंकनोट

बैंक/कोषागार/उप-कोषागार :

शाखा :

हस्ताक्षर :

दिनांक :

जाली नोटों के निविदाकर्ता को जारी की जानेवाली प्राप्त सूचना रसीद

बैंक / कोषागार / उप-कोषागार का नाम :

पता :

रसीद की क्र.:सं.

दिनांक :

----- (निविदाकर्ता का नाम व पता) से प्राप्त निम्नलिखित नोट जाली है और इसलिए जप्त किया / किए गया / गए हैं तथा तदनुसार स्टैम्प लगाया गया है।

उस नोट की क्रम संख्या जिसे जाली नोट समझा गया है	मूल्यवर्ग	किस मानदंड पर उस नोट को जाली समझा गया है

जाली नोटों की कुल सं.

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

(काउंटर स्टाफ के हस्ताक्षर)

संलग्नक III
(पैराग्राफ सं. 5)

1. _____ माह के लिए समेकित मासिक रिपोर्टिंग
2. बैंक जिले का नाम
3. नोडल अधिकारी का नाम और पता
4. जाली नोटों के ब्योरे

शिनाख्त तारीख	की	शाखा तिजोरी का नाम	मुद्रा	नोट करनेवाले के ब्यौरे	प्रस्तुत व्यक्ति	मूल्यवर्ग शृंखला / पीसेस / संख्या	सुरक्षा विशेषताओं का उल्लंघन

5. इसके साथ जाली नोट संलग्न हैं।
6. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुलग्नक :

बैंक का नाम

जिला:

नोडल बैंक अधिकारी का नाम और पता

संदर्भ सं. ----- दिनांक:-----

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक

----- पुलिस थाना

महोदय

जाली नोट /नोटों का पता लगाना -जाँच का अनुरोध

हम इसके साथ हमारे कार्यालय में दिनांक को पकड़े गये निम्नलिखित जाली नोट संलग्न कर रहे हैं। जाली नोट /नोटों के विस्तृत ब्योरे नीचे प्रस्तुत है।

2. चूँकि, भारतीय मुद्रा के जाली नोटों का मुद्रण और/या संचलन में लाना भारतीय दंड संहिता की धारा 489 अ से 489 ई के तहत अपराध है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप कृपया एफआईआर दर्ज कर आवश्यक जाँच करें। यदि न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई करनी हो तो अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 292(1) और 292(3) के अनुसार आप पहले इन नोटों को किसी भी नोट प्रेस, फॉरेंसिक साईन्स लेबोरेटरी आदि के पास जाँच के लिए भेज देने हेतु व्यवस्था कर लें। प्रस्तुत विशेषज्ञ के राय को आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 292 के तहत साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। जाँच और/या न्यायालय में कार्रवाई पूरी हो जाने पर जाँच की विस्तृत रिपोर्ट/न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि सहित जाली नोट हमारे पास भिजवा दिए जाये।

मूल्यवर्ग/ नगों की संख्या	क्रमिक संख्या	अनुमानित मूल्य	नोट प्रस्तुत करनेवाले व्यक्ति के ब्योरे	मुद्रा तिजोरी का नाम और पता जहाँ पर जाली नोटों का पता लगाया गया	बैंक की प्रविष्टि संख्या

3. इसके साथ जाली नोट संलग्न हैं।

4. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

अनु:

संलग्नक - V

(पैरा सं.8)

पता, आदि जाली नोट के ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए फार्म -

सतर्कता कक्ष (एफएनवीसी) से आरबीआई

(प्रत्येक वर्ष पर 1 जुलाई को इ-मेल द्वारा प्रस्तुत किया जाय)

संदर्भ : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जुलाई 2012 को जारी मास्टर परिपत्र

बैंक का नाम	एफएनवीसी का पता (पिनकोड सहित)	प्रभारी अधिकारी का नाम और पता	कोड सहित टेलीफोन संख्या	कोड सहित फैक्स संख्या	एफएनवीसी का इ-मेल पता

उपरोक्त प्रस्तुत ब्योरे में किसी भी परिवर्तन को तत्काल सूचित करने के लिए हमने नोट कर लिया है ।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम

पदनाम

नोट: पर पूर्ण भरे हुए फार्मेट को एम एस एक्सेल में [इ-मेल](#) द्वारा प्रेषित किया जाये ।

संलग्नक VI
(पैराग्राफ सं. 10)

बैंक जिले का नाम

_____ के दौरान शाखा में पाए गए जाली नोटों के ब्यौरे दर्शानेवाला विवरण

क) पाए गए जाली नोटों के ब्यौरे :

शाखा/मुद्रा तिजोरी का नाम	पता लगाने के प्रकार	पीसेस के मूल्यवार ब्यौरे						कुल पीसेस
		10	20	50	100	500	1000	
	एफआईआर दर्ज							
	एफआईआर के बिना							
	परिष्कृत पीसेस की कुल संख्या							

ख) पुलिस के पास दर्ज मामलों के ब्यौरे

	माह के आरंभ में पुलिस के पास लंबित	रिपोर्ट के तहत माह के दौरान पुलिस को भेजे गये	पुलिस द्वारा लौटाये गये	माह के अंत में पुलिस के पास लंबित
मामलों की संख्या				
पीसेस की संख्या				

ध्यान दें : प्रत्येक दर्ज एफ.आई.आर. में एक मामला सम्मिलित है। एफ.आई.आर. में शामिल जाली नोटों की कुल संख्या उक्त प्रत्येक कॉलम में दर्शायी जाये।

को प्रेषित -

1 महाप्रबंधक/उप-महाप्रबंधक , भारतीय रिजर्व बैंक, निर्गम विभाग, _____ (क्षेत्रीय कार्यालय का नाम)।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1967 और
उसके बाद जारी किए गए नोटों के विशिष्ट लक्षण

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
I. 10 रुपये के नोट				
1967	137 x 63 मिमी.	अशोक स्तम्भ	हल्का जामुनी रंग। केंद्र में 10 का अंक।	नोट का मूल्य 14 भारतीय भाषाओं में। वर्तुल में सागर का दृश्य तथा पालदार नौका।
1968	उक्त	उक्त	गहरा नीला रंग। वचन-खण्ड, गारण्टी- खण्ड और हस्ताक्षर को द्विभाषी रूप में मुद्रित किया गया।	ऊपर लिखी खासियत के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक का नाम हिन्दी में भी मुद्रित किया गया।
1969	उक्त	उक्त	गहरा नीला रंग. 'RUPEES TEN' के स्थान पर 'TEN RUPEES'—	महात्मा गांधी का चित्र
1970	उक्त	अशोक स्तम्भ के साथ चक्र	भारतीय रिज़र्व बैंक ऊपर लिखा गया और RESERVE BANK OF INDIA को नीचे मुद्रित किया गया। हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे वचन खण्ड, गवर्नर के हस्ताक्षरों का स्थान बदला गया। सत्यमेव जयते का मुद्रण किया गया। वाटर मार्क- विंडो और नम्बर पैनल को बड़ा किया गया।	मोहर द्विभाषी रूप में डाली गयी।
1975	उक्त	उक्त	गहरा भूरा, गहरा पीला, नीला रंग। '10' का अंक गहरे कथई रंग में। उभरा हुआ मुद्रण। भाषाओं का पैनल बाईं तरफ तथा अशोक स्तम्भ दाईं तरफ।	हल्का कथई, चमकीला नीला और हरा रंग। एक घेरे में पेड़ की शाखा पर बैठे दो मोर। हिरण, घोड़े, पक्षी और कमल।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
1992	उक्त	उक्त	समूची रंग योजना हल्का गुलाबी, मेजेन्टा और पीलापन लिए हुए।	शालीमार बाग।
1996	उक्त	वाटरमार्क विंडों में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु-आयामी रेखाएँ।	समूची रंग-योजना में बैंगनी भूरा, संतरी और गुलाबीपन। महात्मा गाँधी का चित्र। छिपा हुआ सुरक्षा धागा, जिसे रोशनी के सामने करके देखने पर दोनों तरफ से 'भारत RBI' शब्द पढ़े जा सकते हैं।	एक दूसरे में गुंथी हुई फुलकारी, जिसमें हाथी, गैंडा और बाघ के मुँह दिखाए गए हैं। नोट का मूल्य 15 भारतीय भाषाओं में दिया गया है।
2006	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 10 अंक दिखानेवालाइलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता है।	विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर 'भारत' (हिंदी में) और 'RBI' लिखा है अल्ट्रावायलेट रोशनी (जेनरिक) में नोट का पृष्ठभाग व मुखपृष्ठ पीले रंग का चमकीला दिखायी पड़ता है । चौड़ाई - 1.4 मि.मी.। चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं । वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं ।	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है ।
2011	उक्त	उक्त	उक्त इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाएँ और ऊपरी दाएँ कोने पर अंकित मूल्य के साथ, अग्र भाग पर ₹	बैंकनोट में पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष बना रहेगा । इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाएँ और ऊपरी दाएँ

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			प्रतीक की शुरुआत की गयी ।	कोने पर अंकित मूल्य के साथ, पृष्ठ भाग पर ₹ प्रतीक की शुरुआत की गयी ।
2016	उक्त	उक्त	उक्त इसके अतिरिक्त, नए संख्या पटल में, जहां पहले तीन अक्षरांकीय संप्रतीक (उपसर्ग) आकार में अपरिवर्तनशील है, वहाँ अन्य अंक संख्या पटल में बाये से दाए की आवर्धित फॉन्ट में मुद्रित है ।	उक्त
II. 20 रुपये का नोट				
1972	147x63 मिमी.	अशोक स्तम्भ	केसरिया रंग। अशोक स्तम्भ दाईं तरफ और भाषाओं का पैनेल बाएँ तरफ ।	समांतर पैनेल के मध्य में बड़े अक्षरों में हिन्दी में बीस रुपये और दोनों कोनों में 20 का अंक। संसद भवन का चित्र। बाएँ तरफ नोट का मूल्य भारतीय भाषाओ में।
1975	उक्त	छोटा अशोक स्तम्भ जिसके चारों ओर चक्र की श्रृंखला। कागज पर सरेश लगा हुआ।	लाल, नीला, बैंगनी और हल्का पीला रंग। हल्के पीले रंग की कमल जैसी आकृति के ऊपर गहरे बैंगनी रंग में 20 का अंक। भाषाओं का पैनेल बायें तरफ और अशोक स्तम्भ दाएं तरफ। नोट का मुद्रण कागज के एकदम किनारे तक किया गया है, लेकिन चारों कोनों को सफेद ही छोड़ दिया गया है । नाम, वाक्य-खंड और हस्ताक्षर द्विभाषी रूप में।	ड्राई ऑफसेट प्रिंटिंग। लाल, नीला और बैंगनी रंग। बीचों-बीच कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ का पहिया। पीलापन लिए हुए नीले रंग में वाटरमार्क विन्डो। इस विन्डो के चारों ओर जो सजावटी डिजाइन बना है वह नोट की दूसरी ओर बने डिजाइन पर एकदम सही बैठता है।
2001	उक्त	महात्मा गांधी का चित्र	सुरक्षा धागा पूरी तरह से गुंथा हुआ जिस पर 'भारत' और 'RBI' लिखा हुआ है। नोट का रंग मुख्यतया लाली लिए हुए संतरी। अशोक स्तम्भ	नोट की मूल संकल्पना में नारियल वृक्षावली से घिरा भारतीय समुद्रतट दिखाई देता है। बायीं ओर भाषाई पैनेल में

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			<p>के स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र गहरे लाल रंग में है। अशोक स्तंभ को नोट के बाएँ ओर निचले कोने में छोटे आकार में मुद्रित किया गया है। संख्या 20, रिज़र्व बैंक की मुहर, महात्मा गांधी का चित्र, रिज़र्व बैंक का प्रतीक, गारंटी और वचन खण्ड, गवर्नर के हस्ताक्षर तथा अशोक स्तम्भ को उभरा हुआ मुद्रित किया गया है। RBI शब्द और अंक 20 को सूक्ष्म अक्षरों में महात्मा गांधी के चित्र के पीछे वैकल्पिक रूप से मुद्रित है। एक पहचान चिह्न के रूप में नोट के बाएँ ओर छोटी खड़ी आयताकृति उभरे हुए रूप में मुद्रित गई है, ताकि कमजोर नज़र वाले भी नोट का मूल्यवर्ग आसानी से पहचान सकें। संख्या पटल में अंकों को लाल रंग में मुद्रित किया गया है।</p>	<p>नोट का मूल्य पन्द्रह भाषाओं में दिया गया है।</p>
2006	उक्त	<p>इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 20 अंक दिखानेवालाइलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके</p>	<p>विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर 'भारत' (हिंदी में) और 'RBI' लिखा है अल्ट्रावायलेट रोशनी (जेनरिक) में नोट का पृष्ठभाग व मुखपृष्ठ पीले रंग का चमकीला दिखायी पड़ता है । चौड़ाई - 1.4 मि.मी.।</p> <p>चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं ।</p> <p>वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के</p>	<p>बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है ।</p>

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
		देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता है।	मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं।	
2012	उक्त	उक्त	उक्त इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाएँ और ऊपरी दाएँ कोने पर अंकित मूल्य के साथ, अग्र भाग पर ₹ प्रतीक की शुरुआत की गयी।	बैंकनोट में पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष बना रहेगा। इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाएँ और ऊपरी दाएँ कोने पर अंकित मूल्य के साथ, पृष्ठ भाग पर ₹ प्रतीक की शुरुआत की गयी।
III. 50 रुपये का नोट				
1975	147 x 73 मिमी	अशोक स्तम्भ जिसके चारों ओर चक्र हैं.	बैंगनी रंग जिसमें नीले, हरे और हल्के जामुनी रंग की आभा है। 50 का अंक गहरे भूरे रंग में। भाषा-पैनल बाईं ओर और दाईं ओर अशोक स्तम्भ। चारों कोनों को सफेद छोड़ते हुए, कागज के किनारे तक मुद्रण किया गया है।	बैंगनी, भूरा और पीला रंग। बीच में संसद भवन। वाटरमार्क विन्डो हल्के बैंगनी रंग में, जिसके चारों ओर का सजावटी डिजाइन दूसरी ओर बने डिजाइन पर एकदम सही बैठता है।
1981	उक्त	उक्त	उभरा हुआ मुद्रण- गहरा नीला, पीला और लाल। अशोक स्तम्भ और भाषाएं गहरे बैंगनी रंग में तथा बाकी का नोट गहरे हरे और भूरे रंग में। अशोक स्तम्भ के नीचे सत्यमेव जयते।	ड्राई-ऑफसेट पीलापन लिए हुए भूरा तथा समूचा नोट गहरे जामुनी रंग में। संसद भवन पर झण्डा दिखाया गया है।
1997	उक्त	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गांधी	पीला, नीला और बैंगनी रंग। अशोक स्तम्भ के स्थान पर नीले रंग में महात्मा गाँधी का चित्र। सुरक्षा धागा	भारतीय संसद का समग्र दृश्य जिसके ऊपर फुलकारी बनाई गई है और किनारे की तरफ

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
		का चित्र तथा बहु-आयामी रेखाएँ	नोट के भीतर पूर्णतः छिपा हुआ जिस पर 'भारत RBI' शब्द लिखे हुए हैं। वाटरमार्क के बाँए तरफ छोटी ठोस काली वर्गाकार आकृति, जो कमजोर नज़र वालों को नोट का मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है।	बारीक नक्काशी की गई है। नोट का मूल्य 15 भारतीय भाषाओं में दिया गया है।
2005	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 50 अंक दिखानेवालाइलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता है।	विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड किलयर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर 'भारत' (हिंदी में) और 'RBI' लिखा है अल्ट्रावायलेट रोशनी में नोट का पृष्ठभाग व मुखपृष्ठ पीले रंग का चमकीला दिखायी पड़ता है । चौड़ाई - 1.4 मि.मी.। हिंदी और अंग्रेजी में बैंक का नाम, रिजर्व बैंक की मुहर, गारंटी और वचन खण्ड, बाईं ओर अशोक स्तंभ, तथा बैंक नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर इंटैग्लिओट प्रिंटिंग में, अर्थात् मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखायी देता है । वाटरमार्क विंडो के बाईं ओर इंटैग्लिओट की गहरायी बढ़ाकर अर्थात् अधिक उभारदार एक वर्गाकार आकृति मुद्रित की गई है जो कमजोर नजर वालों को मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है । चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं । वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है ।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं ।	
2012	उक्त	उक्त	उक्त इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाएँ और ऊपरी दाएँ कोने पर अंकित मूल्य के साथ, अग्र भाग पर ₹ प्रतीक की शुरुआत की गयी ।	बैंकनोट में पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष बना रहेगा । इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाएँ और ऊपरी दाएँ कोने पर अंकित मूल्य के साथ, पृष्ठ भाग पर ₹ प्रतीक की शुरुआत की गयी ।
2015	उक्त	उक्त	उक्त इसके अतिरिक्त, नए संख्या पटल में, जहाँ पहले तीन अक्षरांकीय संप्रतीक (उपसर्ग) आकार में अपरिवर्तनशील है, वहाँ अन्य अंक संख्या पटल में बाये से दाएँ की ओर आवर्धित फॉन्ट में मुद्रित है ।	उक्त
IV. 100 रुपये का नोट				
1967	157x 73 मिमी.	अशोक स्तम्भ	नीला रंग। बीच में बड़े आकार में 100 का अंक। दाईं ओर अशोक स्तम्भ की प्रतिमा।	बायीं ओर खड़े भाषाओं के पैनल में 14 भारतीय भाषाएँ । वृत्ताकार चौखट की पृष्ठभूमि में हीराकुंड बाँध का चित्र।
1969	उक्त	उक्त	नीला रंग और वचनखण्ड, गारण्टी-खण्ड और गवर्नर के हस्ताक्षर द्विभाषी रूप में।	वृत्ताकार चौखट की पृष्ठभूमि में सेवाग्राम आश्रम और उसमें बैठे महात्मा गाँधी का चित्र।
1975	उक्त	अशोक स्तम्भ के साथ में चक्र	उभरा हुआ मुद्रण। गहरा नीला साथ में नीले, भूरे, गुलाबी और गहरे हरे रंग की आभा। 100 का अंक गहरे नीले रंग में। वाटरमार्क विन्डो का रंग हल्का नीला। रिज़र्व बैंक का नाम,	उभरा हुआ मुद्रण। अनाज की गहरी नीली और भूरी छाया, कृषि कार्य, चाय के बागान, जल विद्युत परियोजना। वाटरमार्क विन्डो के चारों ओर

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			वचनखण्ड, गारण्टी-खण्ड और गवर्नर के हस्ताक्षर द्विभाषी रूप में। भाषाओं का पैनेल बाईं ओर तथा दाईं ओर अशोक स्तम्भ। चारों कोनों को सफेद छोड़ते हुए, कागज के किनारे तक मुद्रण किया गया है।	बनी सजावटी आकृति दूसरी ओर बने डिजाइन में पूरी तरह से समा जाती है।
1979	उक्त	उक्त	एक ओर उभरा हुआ मुद्रण. नीला, लाल और गहरा हरा रंग। लाली और पीलापन लिए हुए हरे रंग की छाया। अशोक स्तम्भ के नीचे सत्यमेव जयते।	ड्राइ-ऑफसेट। काला और मरून रंग। हरापन लिए हुए नीले और भूरेपन की छाया।
1996	उक्त	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु- दिशीय रेखाएं	मुद्रण में उभारदार और ऑफसेट दोनों विधियों का प्रयोग किया गया है। समग्र रंग योजना में नीले, भूरे और हरे रंग की गहनता। महात्मा गाँधी का चित्र। विंडों में सुरक्षा धागा सामने की ओर से थोड़ा छिपा और थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से गुंथा हुआ है। इसपर "भारत" और "RBI" शब्द मुद्रित हैं। वाटरमार्क विन्डो के बाईं ओर काली ठोस त्रिकोणी आकृति उभरकर बनी हुई है जो कमजोर नज़र वालों को नोट का मूल्यवर्ग जानने में मदद करती है।	मुख्य रूप से कंचनजंगा पर्वत शिखर का समूचा दृश्य चित्रित किया है जिसके चारों ओर फुलकारी और जरदोशी के डिजाइन बने हैं। बायीं ओर भाषाओं के पैनेल में 15 भाषाओं में नोट का मूल्य लिखा हुआ है।
2005	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु - दिशीय रेखाएं और मूल्यवर्गीय 100 अंक दिखानेवालाइले	100 रुपये के नोट में विंडो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर 'भारत' (हिंदी में) और 'RBI' लिखा है जो विशेष प्रकार से रंग बदलता है। अलग-अलग कोणों से देखने पर सुरक्षा धागा हरे से बदलकर नीला हो जाता है । अल्ट्रावायलेट	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है ।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
		क्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता हैं।	<p>रोशनी में नोट का पृष्ठभाग पीले रंग का चमकीला और मुखपृष्ठ पर अंकित पाठ चमकीला दिखायी पड़ता है । चौड़ाई - 2 मि.मी।</p> <p>इंटेग्लिओट प्रिंटिंग अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में बैंक का नाम, रिजर्व बैंक की सील, गारंटी और वचन खण्ड, बाईं ओर अशोक स्तंभ का प्रतिक तथा बैंक नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर के मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखायी देता है ।</p> <p>वाटरमार्क विंडो के बाईं ओर इंटेग्लिओट की गहरायी बढ़ाकर अर्थात् अधिक उभारदार एक त्रिकोण आकृति मुद्रित की गई है जो कमजोर नजर वालों को मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है ।</p> <p>चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं । वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच नोट के मुखपृष्ठ (खाली) और उसके पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं ।</p>	
2011	उक्त	उक्त	<p>उक्त</p> <p>इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाएँ और ऊपरी दाएँ कोने पर अंकित मूल्य के साथ, अग्र भाग पर ₹ प्रतीक की शुरुआत की गयी ।</p>	<p>बैंकनोट में पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष बना रहेगा ।</p> <p>इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाएँ और ऊपरी दाएँ कोने पर अंकित मूल्य के साथ, पृष्ठ भाग पर ₹ प्रतीक</p>

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
				की शुरुआत की गयी ।
2015	उक्त	उक्त	<p>उक्त</p> <p>इसके अतिरिक्त, नए संख्या पटल में, जहां पहले तीन अक्षरांकीय संप्रतीक (उपसर्ग) आकार में अपरिवर्तनशील है, वहाँ अन्य अंक संख्या पटल में बाये से दाए की आवर्धित फॉन्ट में मुद्रित है ।</p> <p>इसके अतिरिक्त, मंद दृष्टि के लोगों के उपयोग हेतु, नोटों के अग्रभाग पर दाएँ तथा बाएँ कोनों में चार कोनेदार ब्लीड रेखाएँ मुद्रित हैं। पहचान चिह्न (त्रिकोण) का आकार भी 50% बढ़ाया है।</p>	उक्त

V. 500 रुपये के नोट

1987	167 x 73 मिमी.	अशोक स्तम्भ जिसके सभी ओर चक्र हैं।	<p>ड्राइ-ऑफसेट और उभारदार मुद्रण। पृष्ठभूमि के रंगों में मोरपंखी नीला, चटकीला नीला और हरा । महात्मा गाँधी का चित्र, अशोक स्तम्भ, वचन खण्ड और भाषा पैनल उभरे हुए मुद्रित हैं। कमजोर नज़र वालों को नोट का मूल्यवर्ग जानने में सुविधा के लिए, वाटरमार्क के बायी ओर पाँच काली समानांतर सहायता रेखाएँ उभरी हुई मुद्रित हैं।</p>	पृष्ठभूमि में निकलता हुआ सूरज। पृष्ठभूमि का रंग गहरा हरा, संतरी और आसमानी। महात्मा गाँधी लोगों के समूह का नेतृत्व करते हुए।
1997	167 x 73 मिमी.	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु- दिशीय रेखाएं	<p>ड्राइ-ऑफसेट और उभारदार मुद्रण। पृष्ठभूमि के रंगों में ज्यादातर पीला, हरा बैंगनी और भूरा। महात्मा गाँधी का चित्र, रिज़र्व बैंक का नाम, गारण्टी और वचन खण्ड, अशोक स्तम्भ इनसेट और गवर्नर के हस्ताक्षर उभरे हुए मुद्रित हैं। विंडों में सुरक्षा धागा सामने की ओर से थोड़ा-थोड़ा दिखाई</p>	महात्मा गाँधी लोगों के समूह का नेतृत्व करते हुए भूरे रंग में, ऊपर की तरफ फुलकारी तथा चारो ओर जरदोजी का डिजाइन । बायीं ओर 15 भाषाओं का खड़ा भाषा पैनल हैं। उक्त सभी विशेषताएं उभरी हुई रूप में मुद्रित हैं।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			देता है लेकिन अंदर से पूरी तरह गुँथा हुआ है। इस धागे पर 'भारत' 'RBI' मुद्रित हैं। महात्मा गाँधी के चित्र के पीछे की हरी खड़ी पट्टी पर 500 की अप्रकट छवि है। कमजोर नज़र वालों को नोट का मूल्यवर्ग जानने में सुविधा के लिए, वाटरमार्क के बाँई तरफ एक छोटीसी ठोस गोलाकृति उभरी हुई मुद्रित हैं।	
2000	167 x 73 मिमी.	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु-आयामी रेखाएं	रंगों में मुख्य रूप से हल्का पीला, बैंगनी और भूरा, महात्मा गाँधी का चित्र हल्के भूरे रंग में। 500 का अंक रंग बदलने वाली स्याही (ऑप्टिकली वेरियेबल इंक - ओवीआइ)से मुद्रित किया गया जो हरे से नीले रंग में बदलता है। इनके अलावा, बाकी डिजाइन 1997 की तरह ही है।	इसका डिजाइन 1997 की श्रृंखला वाले नोट की डिजाइन की तरह ही है।
2005	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु-दिशीय रेखाएं और मूल्यवर्गीय 500 अंक दिखानेवालाइलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, जिन्हे बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा	500 रुपये के नोट में विन्डो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा जिसपर 'भारत' (हिंदी में) और 'RBI' लिखा है जो विशेष प्रकार से रंग बदलता है। अलग-अलग कोणों से देखने पर सुरक्षा धागा हरे से बदलकर नीला हो जाता है। अल्ट्रावायलेट रोशनी में नोट का पृष्ठभाग पीले रंग का चमकीला और मुखपृष्ठ पर अंकित पाठ चमकीला दिखायी पड़ता है। चौड़ाई - 3 मि.मी.। इंटेग्लिओट प्रिंटिंग अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में बैंक का नाम, रिजर्व बैंक की सील, गारंटी और वचन खण्ड, बाईं ओर अशोक स्तंभ का प्रतिक तथा बैंक	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
		जा सकता है।	<p>नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर के मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखायी देता है। वाटरमार्क विंडो के बाईं ओर इंटेग्लिओट की गहरायी बढ़ाकर अर्थात् अधिक उभारदार एक गोलाकृति मुद्रित की गई है जो कमजोर नजर वालों को मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करती है। चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं। वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच बैंकनोट के मुखपृष्ठ (खाली) और पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिज़ाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं।</p>	
2011	उक्त	उक्त	<p>उक्त इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाएँ और ऊपरी दाएँ कोने पर अंकित मूल्य के साथ, अग्र भाग पर ₹ प्रतीक की शुरुआत की गयी।</p>	<p>बैंकनोट में पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष बना रहेगा। इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाएँ और ऊपरी दाएँ कोने पर अंकित मूल्य के साथ, पृष्ठ भाग पर ₹ प्रतीक की शुरुआत की गयी।</p>
			<p>उक्त इसके अतिरिक्त, नए संख्यापटल में, जहाँ पहले तीन अक्षरांकीय संप्रतीक (उपसर्ग) आकार में अपरिवर्तनशील है, वहाँ अन्य अंक संख्यापटल में बाये से दाएँ की ओर आवर्धित फॉन्ट में मुद्रित है। इसके अतिरिक्त, मंददृष्टि के लोगों</p>	उक्त

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			के उपयोग हेतु, नोटों के अग्रभाग पर दाएँ तथा बाएँ कोनों में पाँच कोनेदार ब्लीड रेखाएँ मुद्रित हैं। पहचान चिह्न (परिधि) का आकार भी 50% बढ़ाया है	
VII. 1000 रुपये				
2000	177 x 73 मिमी.	वाटरमार्क विन्डो में महात्मा गाँधी का चित्र और बहु-आयामी रेखाएं	सामान्य रूप से रंग गुलाबी है (हल्का पीलापन लिए हुए गुलाबी और पृष्ठभूमि में सलेटी ऑफसेट)। महात्मा गाँधी का चित्र भूरे रंग का है। महात्मा गाँधी का चित्र, अंक 1000, एक हजार रुपये, रिज़र्व बैंक की मोहर, रिज़र्व बैंक का नाम, गारण्टी और वचन खण्ड, गवर्नर के हस्ताक्षर उभरे हुए मुद्रित हैं। बायीं ओर का संख्या पैनल लाल रंग में और दाईं ओर का संख्या पैनल नीले रंग में है। 1000 का अंक रंग बदलने वाली स्याही (ऑप्टिकली वेरियेबल इंक - ओवीआइ) से मुद्रित किया गया है जो हरे से नीले में बदलता है। ऑप्टिकल वेरियेबल (रंग बदलने वाली स्याही) विन्डोवाले सुरक्षा धागे में चुम्बकीय गुण हैं और उसपर "भारत" "1000" और RBI मुद्रित हैं। वाटरमार्क विन्डो के बायीं ओर छोटा काले रंग का ठोस एक उभरा हुआ हिरे का आकार मुद्रित है ताकि कमजोर नज़र वालों को नोट का मूल्यवर्ग जानने में सुविधा हो।	समूची विचारधारा में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को तीन रंगों में उभारदार मुद्रण के माध्यम से प्रकट किया है। भाषाओं के पैनल में बायीं ओर नोट का मूल्य 15 भाषाओं में लिखा हुआ है।
2005	उक्त	इस भाग में महात्मा गाँधी का चित्र, बहु -	1000 रुपये के नोट में, विन्डो में मशीन द्वारा पठनीय डिमेटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा	बैंक नोट की छपायी के दौरान ही उसके पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष डाल दिया गया है।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
		<p>आयामी रेखाएं और मूल्यवर्गीय 1000 अंक दिखानेवालाइलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क हैं, इन्हें बैंकनोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अधिक अच्छी तरह से देखा जा सकता है।</p>	<p>है जिसपर 'भारत' (हिंदी में) और 'RBI' लिखा है जो विशेष प्रकार से रंग बदलता है। अलग-अलग कोणों से देखने पर सुरक्षा धागा हरे से बदलकर नीला हो जाता है। अल्ट्रावायलेट रोशनी चौड़ाई - 3 मि.मी. में नोट का पृष्ठभाग पीले रंग का चमकीला और मुखपृष्ठ पर अंकित पाठ चमकीला दिखायी पड़ता है। इंटैग्लिओट प्रिंटिंग अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में बैंक का नाम, रिजर्व बैंक की सील, गारंटी और वचन खण्ड, बाई ओर अशोक स्तंभ का प्रतिक तथा बैंक नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर के मुद्रण में उभार और अधिक स्पष्ट दिखायी देता है। वाटरमार्क विंडो के बाई ओर इंटैग्लिओट की गहरायी बढ़ाकर अर्थात् उसे अधिक उभारदार एक हिरे का आकार मुद्रित किया गया है जो कमजोर नजर वालों को मूल्यवर्ग पहचानने में मदद करता है।</p> <p>चमकीले रेशे दोहरे रंग के हैं। वाटरमार्क विंडो के तुरंत बाद एक खड़ी पट्टी के बीचोबीच बैंकनोट के मुखपृष्ठ (खाली) और पृष्ठ भाग (भरा हुआ) पर मुद्रित एक छोटी फूलदार डिजाइन एक दूसरे पर एकदम सटकर इस प्रकार बैठ जाती हैं कि नोट को रोशनी के सामने करके देखने पर अंक एक ही दिखायी पड़ते हैं।</p>	
2011	उक्त	उक्त	उक्त इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाए	बैंकनोट में पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष बना रहेगा।

वर्ष	आकार	वाटरमार्क	अग्रभाग	पृष्ठभाग
			और ऊपरी दाए कोने पर अंकित मूल्य के साथ, अग्र भाग पर ₹ प्रतीक की शुरुआत की गयी ।	इसके अलावा, बैंकनोट के ऊपरी बाए और ऊपरी दाए कोने पर अंकित मूल्य के साथ, पृष्ठ भाग पर ₹ प्रतीक की शुरुआत की गयी ।
2015			<p>उक्त इसके अतिरिक्त, नए संख्या पटल में, जहां पहले तीन अक्षरांकीय संप्रतीक (उपसर्ग) आकार में अपरिवर्तनशील है, वहाँ अन्य अंक संख्या पटल में बाये से दाए की ओर आवर्धित फॉन्ट में मुद्रित है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, मंद दृष्टि के लोगों के उपयोग हेतु, नोटों के अग्रभाग पर दाएँ तथा बाएँ कोनों में छः कोनेदार ब्लीड रेखाएँ मुद्रित है। पहचान चिह्न (हीरा) का आकार भी 50% बढ़ाया है।</p>	उक्त